

# Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 220-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 15, 2017 (AGRAHAYANA 23, 1939 SAKA)

### हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

# अधिसूचना

दिनांक 15 दिसम्बर, 2017

संख्या 21/02/2014—1पिर0(II).— मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 215 की उप—धारा (2) तथा उप—धारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए तथा हिरयाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या का.आ. 40/के.अ.59/1988/धा.215/98, दिनांक 12 मार्च, 1998 का अधिक्रमण करते हुए, हिरयाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हिरयाणा राज्य के लिए राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् और हिरयाणा राज्य के प्रत्येक जिले के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्य शामिल होंगे, अर्थात:—

## क राज्य सङ्क स्रक्षा परिषद् :--

1.	परिवहन मंत्री, हरियाणा	अध्यक्ष
2.	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग	सदस्य
3.	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
4.	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)	सदस्य
5.	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग	सदस्य

	6.	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
	7.	पुलिस महानिदेशक, हरियाणा	सदस्य
	8.	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)	सदस्य
	9.	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, हरियाणा	सदस्य
	10.	महानिदेशक, राज्य परिवहन, हरियाणा	सदस्य
	11.	मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	सदस्य
	12.	मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	सदस्य
	13.	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा	सदस्य
	14.	क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पंचकुला, गुरूग्राम और दिल्ली (पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे)	सदस्य
	15.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, हरियाणा	सदस्य
	16.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम	सदस्य
	17.	सरकार द्वारा नामांकित सड़क सुरक्षा से संबंधित तीन गैर सरकारी विशेषज्ञ / एजेंसी	सदस्य
			^
	18.	परिवहन आयुक्त, हरियाणा	सदस्य–सचिव
ख		पारवहन आयुक्त, हारयाणा सङ्क सुरक्षा समिति :-	सदस्य-सचिव
ख		<u> </u>	सदस्य-सचिव अध्यक्ष
ख	जिला ः	सड़क सुरक्षा समिति :—	
ख	जिला <sup>-</sup> 1.	सड़क सुरक्षा समिति :- उपायुक्त	अध्यक्ष
ख	जिला <sup>-</sup> 1. 2.	सड़क सुरक्षा समिति :— उपायुक्त पुलिस अधीक्षक	अध्यक्ष सदस्य
ख	जिला <sup>-</sup> 1. 2. 3.	सड़क सुरक्षा समिति :— उपायुक्त पुलिस अधीक्षक संबंधित अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)	अध्यक्ष सदस्य सदस्य
ख	जिला <sup>२</sup> 1. 2. 3. 4.	सड़क सुरक्षा समिति :— उपायुक्त पुलिस अधीक्षक संबंधित अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) मुख्य चिकित्सा अधिकारी	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य
ख	जिला <sup>3</sup> 1. 2. 3. 4. 5.	सड़क सुरक्षा समिति :— उपायुक्त पुलिस अधीक्षक संबंधित अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) मुख्य चिकित्सा अधिकारी महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ख	जिला <sup>3</sup> 1. 2. 3. 4. 5.	सड़क सुरक्षा समिति :— उपायुक्त पुलिस अधीक्षक संबंधित अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) मुख्य चिकित्सा अधिकारी महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन जिले के सभी उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ख	जिला <sup>3</sup> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	सड़क सुरक्षा समिति :— उपायुक्त पुलिस अधीक्षक संबंधित अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) मुख्य चिकित्सा अधिकारी महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन जिले के सभी उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ख	जिला <sup>3</sup> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	सड़क सुरक्षा समिति :— उपायुक्त पुलिस अधीक्षक संबंधित अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) मुख्य चिकित्सा अधिकारी महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन जिले के सभी उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ख	जिला व 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	सड़क सुरक्षा समिति :— उपायुक्त  पुलिस अधीक्षक  संबंधित अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)  मुख्य चिकित्सा अधिकारी  महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन  जिले के सभी उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)  जिला शिक्षा अधिकारी  जेला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी  संपदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण  अपनी अपनी अधिकारिता में जिले के संयुक्त आयुक्त, नगर निगम/कार्यकारी	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ख	जिला व 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	सड़क सुरक्षा समिति :— उपायुक्त पुलिस अधीक्षक संबंधित अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) मुख्य चिकित्सा अधिकारी महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन जिले के सभी उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) जिला शिक्षा अधिकारी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी संपदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अपनी अपनी अधिकारिता में जिले के संयुक्त आयुक्त, नगर निगम/कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् और सचिव, नगरपालिका समिति	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य

14. जिले का वन मण्डल अधिकारी सदस्य
15. जिले का अधीक्षक अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, जैसी भी स्थिति हो
16. सरकार के अनुमोदन से अध्यक्ष द्वारा यथा नामांकित संबंधित जिले के सड़क सुरक्षा से सदस्य संबंधित दो गैर सरकारी विशेषज्ञ / एजेंसी

17. जिले का सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण

सदस्य-सचिव

# ग परिषद् और समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:-

- 1. परिषद् एक वर्ष में कम से कम इसकी दो बैठकों का आयोजन करेगी और सड़क सुरक्षा, यातायात विधियों के बारे में जागरूकता लाने हेतु प्रभावी कदम उठाएगी और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उचित उपाय करेगी। सदस्य सचिव, जैसी भी स्थिति हो, जैसा उचित समझे, राज्य के किसी भी हिस्से में सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलूओं का अध्ययन करने या करवाने के लिए किसी विशेषज्ञ एजेंसी या गैर सरकारी संगठन के नियोजन के लिए आवेदन आमन्त्रित करेगा।
- 2. सिमिति प्रति माह अपनी बैठक का आयोजन करेगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी के साथ साथ मासिक आधार पर प्राप्तियों की मॉनीटर हेतु, सड़क सुरक्षा हित में परिषद् द्वारा पारित निर्देशों की अनुपालना समयबद्ध रीति में सुनिश्चित करेगी और बैठकों की कार्यवाही परिवहन आयुक्त, हरियाणा को नियमित रूप से भेजेगी।
- 3. नामांकित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अविध के लिए होगा। नामांकित सदस्यों को यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता का भुगतान, हिरयाणा सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी को यथा लागू हिरयाणा सिविल सेवा नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा। नामांकित सदस्यों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा।

आर0 आर0 जोवल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग।

#### HARYANA GOVERNMENT

#### TRANSPORT DEPARTMENT

#### Notification

The 15th December, 2017

**No. 21/02/2014-1T(II).**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) and (3) of section 215 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) and in supersession of the Haryana Government, Transport Department, Notification No.S.O.40/CA59/1488/S.215/98, dated the 12th March, 1998, the Governor of Haryana hereby constitutes for the Haryana State, a State Road Safety Council and District Road Safety Committee for each district in the Haryana State, consisting of the Chairman and the following members, namely:-

# A. State Road Safety Council

1.	Transport Minister, Haryana	Chairman
2.	Administrative Secretary to Government, Haryana, Home Department	Member
3.	Administrative Secretary to Government, Haryana, School Education Department	Member
4.	Administrative Secretary to Government, Haryana, Public Works Department (Building and Road)	Member
5.	Administrative Secretary to Government, Haryana, Transport Department	Member
6.	Administrative Secretary to Government, Haryana, Health Department	Member
7.	Director General of Police, Haryana	Member

8.	Engineer-in-Chief, Public Works Department, (Buildings and Roads), Haryana	Member
9.	Director General, Health Services, Haryana	Member
10.	Director General, State Transport, Haryana	Member
11.	Chief Administrator, Haryana Urban Development Authority	Member
12.	Chief Administrator, Haryana State Agricultural Marketing Board	Member
13.	Director, Urban Local Bodies Department, Haryana	Member
14.	Regional Officer, National Highway Authority of India, Panchkula, Gurugram and Delhi (Eastern Peripheral Expressway)	Member
15.	Principal Chief Conservator, Forest Department, Haryana	Member
16.	Managing Director, Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam and Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam	Member
17.	Three non government experts/agencies related to Road Safety, nominated by Government	Member
18.	Transport Commissioner, Haryana	Member Secretary".
Distric	t Road Safety Committee	
1.	Deputy Commissioner	Chairman
2.	Superintendent of Police	Member
3.	Concerned Superintendent Engineer Public Works Department (Buildings & Roads)	Member
4.	Chief Medical Officer	Member
5.	General Manager, Haryana Roadways	Member
6.	All Sub-Divisional Officer(s) (Civil) in the District	Member
7.	District Education Officer	Member
8.	District Elementary Education Officer	Member
9.	Estate Officer, Haryana Urban Development Authority	Member
10.	Joint Commissioner of Municipal Corporation/Executive Officer of Municipal Council and Secretary, Municipal Committee of the respective jurisdiction of the District	Member
11.	District Development and Panchayat Officer	Member
12.	Executive Engineer, Haryana State Agriculture Marketing Board of the respective jurisdiction of the District	Member
13.	Project Director, National Highway Authority of India of their respective jurisdiction	Member

B.

14. Divisional Forest Officer of the District Member 15. Superintending Engineer, Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam and Dakshin Member Haryana Bijli Vitran Nigam, as the case may be, of the District 16. Two non government experts/agencies related to Road Safety in the Member

respective District as nominated by the Chairman with the approval of Government

Secretary, Regional Transport Authority in the District 17.

Member Secretary

#### C. The Council and Committee shall discharge following functions:-

- The Council shall hold its meetings at least twice in a year and take effective steps to build awareness 1. about Road Safety, traffic laws and initiate steps to reduce road accidents. The Member Secretary, as the case may be, shall invite the applications for engagement of any expert agency or a Non Government Organization to carry out or cause to carry out studies on various aspects of Road Safety in any part of the State, deemed fit.
- The Committee shall hold its meeting every month and ensure compliance of the directions passed by 2. the Council in a time bound manner in the interest of road safety, to reduce the road accidents as well as monitor the achievements on monthly basis and send the proceedings of the meetings to the Transport Commissioner, Haryana regularly.
- 3. The tenure of the nominated members shall be for a period of three years. Travelling Allowance/Daily Allowance shall be paid to the nominated members as per Haryana Civil Services Rules, 2016 as applicable to Class-I officer of Haryana Government from Road Safety Fund. No remuneration shall be given to the nominated members.

R. R. JOWEL, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Transport Department.

55870-C.S.-H.G.P., Chd.